रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092021-229381
CG-DL-E-02092021-229381

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 2, 2021/भाद्र 11, 1943
No. 361] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 2, 2021/BHADRA 11, 1943

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2021

सं. 132

सं. ईपी. 33(1)/2017.—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37वां) की धारा-45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में संशोधन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथाः-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा आरंभः**

   (i) ये विनियम, भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021 कहलाएंगे।

   (ii) ये सरकारी गजट में अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे ।

2. **परिभाषाः** इस विनियम में शब्दों की परिभाषा और उनका अर्थ तथा पदों के पदनाम का अर्थ वही होगा जैसाकि खाद्य निगम अधिनियम,1964 तथा भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में दिया गया है।

3. **निम्नलिखित संशोधन भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में किए गए हैः-**

   (क) नियम 31-ग,

   नियम 31- ग के तहत बिंदु सं. (ड़) के बाद बिंदु सं. (च) में व्याख्या (स्पष्टीकरण) के लिए अंतर्निविष्ट किया गया है

(च) निम्नलिखित परिस्थितियों में, अन्य परिस्थितियों के साथ , यदि ऐसा होता है या वर्तमान में उसका संबंध हो या यौन उत्पीड़न के व्यवहार या किसी ऐसे कार्य से जुड़ा हुआ है तो वह यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आ सकता है:-

(i) उसके रोजगार में अधिमान्य व्यवहार निहित होना या स्पष्ट वादा करना; या

(ii) उसके रोजगार में अहितकर व्यवहार निहित होना या स्पष्ट धमकी देना ; या

(iii) उसके वर्तमान एवं भविष्य की रोजगार स्थिति के बारे में अहितकर व्यवहार निहित होना या स्पष्ट धमकी देना ; या

(iv) उसके काम में हस्तक्षेप करना या उसके लिए डराने–धमकाने वाला या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाना; या

(v) अपमानजनक व्यवहार करना जिससे उसके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर प्रभाव पड़े।

(ख) नियम 54 के तहत बिंदु सं. (ज) के बाद बिंदु सं. (झ) में व्याख्या (स्पष्टीकरण) के लिए अंतर्निविष्ट किया गया है

शिकायत समिति की सिफ़ारिश पर दिया गया कोई भी मुआवजा, भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 के नियम 31-ग के अर्थ में यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत की जांच के लिए निगम में स्थापित एवं विनियम 58 के उप-नियम (2) के प्रावधान में संदर्भित किया जाता है ।”

आर .सी. मीना, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./224/2021-22]

टिप्पणी: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 08.05.1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे तथा तदनुरूप अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किये गए ।

क्र .सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	भा.खा.नि., विनियम (पांचवा संशोधन) (कर्मचारीवृंद), 2020	07.12.2020
2.	भा. खा. नि., विनियम (पहला संशोधन) (कर्मचारिवृंद), 2021	02.06.2021
3.	भा. खा. नि., विनियम (दूसरा संशोधन) (कर्मचारिवृंद), 2021	02.06.2021
4.	भा. खा. नि., विनियम (तीसरा संशोधन) (कर्मचारिवृंद), 2021	17.06.2021

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2021

No. 132

No. EP. 33(1)/2017.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely:-

1. Short Title and Commencement:

(i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (Fourth Amendment) Regulations, 2021.

(ii) These shall come into force from the date of Notification in the Official Gazette.

2. Definitions: The definition and meaning of the words and designation of posts in this Regulation shall have the same meaning as contained in the Food Corporations Act, 1964 and the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971.

3. The amendments are made in following Regulations of Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 :

(a) Regulation 31-C,

Point (f) is inserted after (e) in Explanation under Regulation 31-C

(f) The following circumstances, among other circumstances, if it occurs or is present in relation to or connected with any act or behavior of sexual harassment may amount to sexual harassment:

(i) implied or explicit promise of preferential treatment in her employment; or

(ii) implied or explicit threat of detrimental treatment in her employment; or

(iii) implied or explicit threat about her present or future employment status; or

(iv) interference with her work or creating an intimidating or offensive or hostile work environment for her; or

(v) humiliating treatment likely to affect her health or safety.

(b) Point (i) is inserted after (h) in Explanation under Regulation 54

Any compensation awarded on the recommendation of the Complaints Committee referred to in the proviso to sub-rule (2) of Regulation 58 and established in the Corporation for inquiring into any complaint of Sexual harassment within the meaning of Regulation 31 C of the FCI (Staff) Regulations, 1971."

R. C. MEENA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./224/2021-22]

Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 8.5.1971 and subsequently have been amended being lastly vide:-

SL. No.	Title	Dated
1	FCI (Staff) (5th Amendment) Regulations, 2020	07.12.2020
2	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2021	02.06.2021
3	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2021	02.06.2021
4	FCI (Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2021	17.06.2021

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.02 22:11:09 +05'30'